

संख्या 974-E/Welfare/Covid-19/जव

दिनांक 22.05.2020

सभी अधिकारीगण,
सभी वरिष्ठ खण्ड अभियन्ता,
जगाधरी वर्कशाप।

विषय:- होम कॉरेंटाइन कर्मचारियों के विषय में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्र सं० 974-E/हित/Covid-19/ज०व० दिनांक 19.05.2020 ।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 19.05.2020 के अनुसार जगाधरी वर्कशाप में इंडस्ट्रियल गतिविधियों को सुचारु रूप से पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रानुसार कर्मचारियों द्वारा दिया गया स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार कुछ कर्मचारियों को ड्यूटी तथा कुछ कर्मचारियों को होम कॉरेंटाइन (14 दिन के लिए) किया गया है। जिन कर्मचारियों को होम कॉरेंटाइन किया गया उनमें से कुछ कर्मचारियों के घोषणा पत्र में दिए गए स्थानीय निवास स्थान पर जाँच के दौरान कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया।

जिन जिन कर्मचारियों को चिकित्सा विभाग द्वारा होम कॉरेंटाइन किया गया है उन कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं।

1. होम कॉरेंटाइन किए गये कर्मचारियों को Health विभाग के आदेशानुसार स्थानीय निवास स्थान पर 14 दिन रहना अति अनिवार्य है।
2. रिपोर्टिंग के समय कर्मचारी द्वारा दिये गए स्थानीय निवास स्थान की details, Civil Authority/Health Deptt./Yamuna Nagar को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी गई है तथा उनके द्वारा समय समय पर आपके स्थानीय निवास स्थान पर स्वास्थ्य परिक्षण किया जायेगा।
3. स्थानीय निवास स्थान पर आपकी उपलब्धता न होने पर Civil authority नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा रेलवे विभाग द्वारा कॉरेंटाइन पिरियड को अनुपस्थित मानते हुए नियमानुसार उचित कार्यवाही करेगी।

अतः आप कॉरेंटाइन पिरियड में दिए गए स्थानीय निवास स्थान पर ही रहे।

4. होम कॉरेंटाइन के दौरान अगर किसी कर्मचारी को COVID-19 से संबंधित लक्षण पाये जाते हैं, तो वह तुरन्त रेलवे अस्पताल में रिपोर्ट करेगा तथा अरोग्य सेतु ऐप पर अपना status Upload करेगा।
5. होम कॉरेंटाइन समय समाप्त होने से अगले दिन कर्मचारी अपना फार्म (already filled by Doctor) सहित Railway Institute में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करेंगे।

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी उपरोक्त दिशा निर्देश सुनिश्चित करें।



(विनोद कुमार)

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ० रे०, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि:-

1. सभी यूनियन/एसोसियेशन (यांत्रिक व विद्युत) जगा० वर्क० ।
2. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज जगा० वर्क० ।
3. कंपनी कमांडर रेलवे सुरक्षा बल जगा० वर्क० ।
4. सभी होम कॉरेंटाइन कर्मचारी को उनके दिए गये मोबाईल न० पर ।